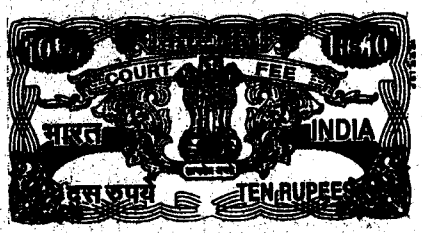

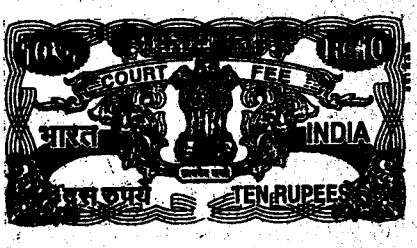

समक्ष-संदस्य मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल (म.प्र.)
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

निग - 2068-IV-16

प्र.क्र. ------/निगरानी/15-16

1-रामेश्वर राठौर पुत्र इमरतलाल वयस्क,

2-जितेन्द्र राठौर पुत्र इमरतलाल वयस्क

3-हीरालाल राठौर पुत्र नन्नूलाल वयस्क

4-इमरतलाल राठौर पुत्र नन्नूलाल वयस्क

सभी निवासी ग्राम दोबडिया तहसील इछावर

जिला सीहोर -------------------------------निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

कैम्प भोपाल में दि. 21-6-16 को प्राप्त
21-6-16

सुश्री ऊषा चौहान पुत्रि देवीसिंह चौहान वयस्क

निवासी इछावर, तहसील इछावर, जिला सीहोर

2-म.प्र. शासन- - - - - - - - - - - - - - - रेस्पान्डेन्टस

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959
विरूद्ध आदेश दिनांक .... निलएंव प्रतिवेदन दिनांक 21/4/2016
प्र.क्र. 33/अ-12/15-16 ऊषा चौहान विरूद्ध म.प्र. शासन (दोबडिया)
पारित द्वारा तहसीलदार महोदय तहसील इछावर, जिला सीहोर।

श्रीमान,

निगरानीकर्तागण माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक का उल्लेख किये बगैर पारित सीमांकन आदेश जिसके द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 21/4/16 सीमांकन प्रकरण में संलग्न कर कार्यवाही पूर्ण होने का आदेश पारित कर प्रकरण समाप्त करने एवं नस्तीबद्ध करने से असंतुष्ट एवं दुखी होकर निम्नांकित तथ्यों एवं विधि आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करते हैं:-

-: प्रकरण के तथ्य :-

1- यहकि निगरानीकर्ता- रामेश्वर राठौर ने रिकार्डेड भूमिस्वामी लक्ष्मीनारायण पुत्र मन्नूलाल निवासी ग्राम संदलपुर तहसील खातेगांव जिला

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2068–दो/16 जिला–सीहोर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–04–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 गुरौदिया उपस्थित होकर यह निगरानी तहसीलदार इछावर जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 33/अ–12/2015–16 में आदेश दिनांक निल एवं प्रतिवेदन दिनांक 21.4.2016 के विरूद्व इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत कर बताया गया है कि आवेदक ने रिकार्डेड भूमिस्वामी लक्ष्मीनारायण पुत्र नन्नूलाल निवासी ग्राम संदलपुर तहसील खातेगांव जिला देवास से ग्राम दीबडिया स्थित भूमि सर्वे नंबर 212, 213, 217 रकवा 1.39 एकउ कय करने का अनुबंध दिनांक 29.5.2007 को कर विकय मूल्य राशि 2,25,000/– रूपये समक्षर गवाहान के पटाकर कय की गई प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा समस्त उत्तारदायित्वों को स्वीकार कर सभी सुखाधिकारों सहित प्राप्त किया है इस भूमि के दिशा पूर्व में हीरालाल, पश्चिम में गोविन्द, उत्तर में इमरतलाल, व दक्षिण दिसा में कैलाश नाथ की भूमि स्थित है। इसके अनुसार आवेदक रामेश्वर राठौर भूमि	

का वास्तविक कब्जेदार होकर फसल लाभ अनुबंध दिनांक से लगातार भूमि स्वामी की हैसियत से प्रापत करता चला आ रहा है।

3— आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के अधिवक्ता को दिनांक 31.8.2016 को पडोसी मेढिया कास्तकार होने बावत दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था लेकिन वह 9 पेशियों तक वह दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि आवेदक पडोसी कास्तकार है। आवेदक अधिवकता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह की जाती है तथा तहसीलदार इछावर जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 33/अ—12/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 3.12.15 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य